खाद्य वस्तुओं में हलाल व हराम

1- खाद्य वस्तुओं से स्वास्थ्य और ज़िन्दगी की सुरक्षा जुडी है और यह बात अत्यन्त दुखद है कि कभी कभी खाद्य वस्तुओं की तैयारी और प्राप्ती से संबंधित लोग और कम्पनियां उन स्तरों को सामने नहीं रखती हैं जो स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार खाद्य वस्तुओं और दूसरी इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं में मिलावट भी पैदा की जाती है जो झूठ और धोखा है। इस लिए इस तरह की सेवा उपलब्ध कराने वाले लोगों व पदाधिकारियों से अपील की जाती है कि वे जीवन के स्वास्थ्य के उसूलों का पूरा पूरा ध्यान रखें। इस उद्देश्य के लिए हुकूमत की ओर से निर्धारित क़ानूनों का पूरा सम्मान करें और हुकूमत को भी चाहिए कि वह जनता के हितों का ध्यान रखते हुए प्रभावी क़ानून बनाए और उसे लागू करे।

2- पैदावार में बढ़ौतरी के लिए तदबीरें अपनाना शरअी तौर पर वर्जित नहीं है बल्कि पसन्दीदा है। लेकिन पैदावार अधिक हो, इस लालच में ऐसी खाद और दवाओं का इस्तेमाल जो मानव स्वास्थ्य के लिए सख़्त हानिकारक हो, सही नहीं है।

3- फ़लों को समय से पहले पकाने और सुन्दर बनाने, और अप्राकृतिक तरीक़े पर साइज़ बढाने के लिए ऐसे रसायन का इस्तेमाल जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक हो, शरअी तौर पर सही नहीं है।

4- जानवरों के दूध की मात्रा में वृद्धि करने के लिए किसी बनावटी तदबीर को अपनाना अपने आप में जायज़ है। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा तरीक़ा अपनाना जिससे जानवर को सख़्त तकलीफ़ हो या प्राप्त होने वाला दूध मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, सही नहीं।

5- बिना ज़रूरत माकोलुल लहम जानवर को जानकर नापाक खाद्य देना जायज़ नहीं लेकिन यदि कोई ऐसा खाद्य दिया गया तो उन जानवरों के गोश्त में कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि उनके बदन से नापाकी के असरात स्पष्ट न हों।

6- यदि खाद्य वस्तुओं में स्वास्थ्य के लिए सख़्त हानिकारक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए तो यह अमल नाजायज़ होगा।

☆☆☆

नोटः 24 वां फ़िक़्ही सेमिनार (ओचीरा, केरल) दिनांक 9-11 जमादिल ऊला 1436 हि0 - 1-3 मार्च 2015 ई0